



पत्र संख्या-प0नि0 30-40/2011-1055

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक- 27.02.2016

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन 2016 : आशा कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत महिला के पंचायत चुनाव में अभ्यर्थी बनने के संबंध में।

प्रसंग :- आयोग का पत्रांक 1499 दिनांक 06.03.2011
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आयोग के प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ लिया जाय जिसके द्वारा सूचित किया गया था कि "आशा कार्यकर्ता" के रूप में कार्यरत महिला पंचायत निकायों/ग्राम कचहरी के पदों का चुनाव नहीं लड़ सकती है।

2. इस संदर्भ में आयोग द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136 (1) की कंडिका-(ग), (घ) एवं (झ) में उल्लिखित निरर्हता संबंधी प्रावधानों के आलोक में "आशा कार्यकर्ता" के अर्हता/निरर्हता के संबंध में समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि आशा कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त महिला पंचायत निकायों/ग्राम कचहरी के पदों के लिये निर्वाचन लड़ने के योग्य हैं।

3. अनुरोध है कि उक्त आशय की सूचना से सभी निर्वाची पदाधिकारियों को अविलंब अवगत करा दिया जाय।

आयोग के प्रासंगिक पत्र को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

सचिव।

आपाक 277 दिनांक 29.2.16

प्रतिलिपि :- सभी निर्वाची पदाधिकारी- सह- अनुभासल पदाधिकारी
सदर/केनीफु/बिरोल/सभी निर्वाची पदाधिकारी-सह-
प्रवण्ड विकास पदाधिकारी दरभंगा जिला का सूचनापत्र
एवं आवश्यक कार्याच प्रेषित।

29/2/16
जिला पंचायत राज पदाधिकारी
दरभंगा
29/2/16